प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बहत्तर'

प्रश्न सं. [क्र. 4987]

[22/3/2018]

आ॰ सं॰ क्र॰ 4987 परिशिष्ट 35

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा(म0प्र0)

क्रमांक 581 / रीडर / 2016

रीवा दिनांक 04.10.2016

प्रति,

01 प्रभारी अधिकारी
शिकायत / सर्तकता कलेक्ट्रेट रीवा

02 प्रभारी अधिकारी
स्थानीय शिकायत / हेल्प लाइन कले. रीवा

विषय–सन्तोष कुमार पाण्डेय रीडर अपर कलेक्टर रीवा द्वारा प्रार्थिया की सम्पत्ति हड़पने की साजिस की जांच एवं धमकी की शिकायत बाबत् समुचित दण्डात्मक कार्यवाही।

सदर्भ– पत्र कमांक 1687 / 16 दिनांक 12.9.2016 एवं

उक्त संदर्भित एवं क्रियांकित शिकायती आवेदन पत्र का अवलोकन करें, शिकायतकर्ता के पति, देवेन्द्र कुमार एवं अन्य लोगो द्वारा कलेक्टर न्यायालय मे नक्शा सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमे कलेक्टर रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार तहसील गुढ से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर प्रकरण मूलतः सुनवाई हेतु अपर कलेक्टर न्यायालय को अग्रेषित किया गया।उक्त नक्शा सुधार प्रकरण मे सुनवाई उपरांत दिनांक 18.7.2016को नक्शा सुधार का आदेश पारित किया जा चुका है, जिसकी अपील शिकायतकर्ता के पति देवेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा के न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है, जो विचाराधीन है।

2/–शिकायतकर्ता गण सन्तोष कुमार पाण्डेय रीडर अपर कलेक्टर के सगे चाचा ,चाची हैं, जिससे शिकायतकर्तागण संदेहवस एवं आपसी घरेलू विवाद से किसी अन्य के बहकावे मे आकर शिकायत प्रस्तुत की गई है।शिकायतकर्तागण के आपसी विवाद से न्यायालयीन प्रकरण का कोई सम्बंध नहीं है।न्यायालयीन प्रकरण के निराकरण पश्चात आदेश से असंतुष्ट पक्षकार वरिष्ठ न्यायालय मे अपील / निगरानी प्रस्तुत कर प्रकरण का निराकरण कराने के लिये स्वतंत्र है।

3/– प्रकरण का निराकरण किसी भी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है किसी रीडर अथवा अन्य किसी कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं होती है परन्तु शिकायतकर्तागण द्वारा शंकावस अपने सगे भतीजे जो कि न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा मे रीडर का कार्य करते है, के विरुद्व दबाव बनाने के लिये किसी अन्य के बहकावे मे आकर झूठी शिकायत प्रस्तुत की गई है जिसमे कलेक्टर महोदय द्वारा शिकायतकर्तागण को समक्ष मे सुना जाकर रीडर को आदेशित किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा के न्यायालय मे प्रकरण भेजें।कलेक्टर महोदय के उक्त आदेशानुसार प्रकरण मा0 अपर आयुक्त महो0 रीवा सम्भाग रीवा के न्यायालय मे नियत पेशी दिनांक 16.9.2016 के पूर्व यानी अभिलेख पास बुक कमांक 681 दिनांक — 12.9.2016 को भेजा जा चुका है।शिकायतकर्तागण अपना पक्ष समर्थन कर प्रकरण का निराकरण कराने के लिये स्वतंत्र है। शिकायती आवेदन पत्र नस्तीबद्व किये जाने योग्य है।

अपर कलेक्टर
जिला रीवा(म.प्र.)

Addl. Collector
Distt. Rewa (M.P.)